**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(अनुभाग-3, नरेगा)**

क्रमांकः-एफ-1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./पार्ट-IV/2010-11 जयपुर, दिनांक

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
ईजीएस,समस्त(राजस्थान)

18 AUG 2011

विषयः-समूहवार माप नहीं करने वाले अभियंताओं के विरूद्ध कार्यवाही करने बाबत।
संदर्भः-विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.7.2010, 31.08.2010, 15.11.2010 एवं 29.6.2011

महोदय,

विभाग के मुख्यालय स्थित अभियंतागण द्वारा माह जुलाई एवं अगस्त 2011 में राज्य के प्रत्येक जिले की एक दूरस्थ पंचायत समिति का निरीक्षण करने पर यह जानकारी में आया है कि अनेक स्थानों पर मेट अकुशल श्रमिकों की मस्टररोल के पृष्ठ भाग के कॉलम संख्या-7 में समूह के प्रत्येक श्रमिक को देय मजदूरी का अंकन नहीं कर रहे हैं, परिणामस्वरूप कनिष्ठ तकनीकी सहायक समूहवार माप नहीं कर पाते हैं। साथ ही अनेक स्थानों पर श्रमिकों को उनकी दैनिक मजदूरी बताने हेतु दैनिक माप कार्ड मस्टररोल के साथ जारी नहीं किये जा रहे हैं एवं जिन स्थानों पर यह कार्ड जारी किये भी गये हैं वहां मेट द्वारा कार्ड में प्रतिदिन श्रमिक समूह द्वारा अर्जित मजदूरी का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार अर्द्ध कुशल/कुशल श्रमिकों को जारी की जाने वाली मस्टररोल में भी मस्टररोल ट्रेकिंग एवं पखवाड़े के दौरान सामग्री मद में कार्य पर वास्तविक व्यय का अंकन भी नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में पुनः लेख है कि प्रत्येक कार्यस्थल पर समूहवार माप सुनिश्चित की जावे एवं समूहवार माप नहीं करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध नरेगा अधिनियम की धारा-25 एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-91 ए के अंतर्गत कार्रवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सी.एस.राजन)
**प्रमुख शासन सचिव**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,ईजीएस प्रथम/ द्वितीय (मुख्य अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी) जिला परिषद, समस्त(राजस्थान)।
2. रक्षित पत्रावली।

18/8/11.
**परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस**